

# न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर छ0ग0

रा.प्र.क. 127/अ-2/2018-2019

मौजा- अमेरी तहसील तखतपुर

मेसर्स भाटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर,  
द्वारा भागीदार दलजीत सिंह भाटिया,  
पिता अमोलक सिंह भाटिया,  
रमेश कुमार डंगवानी,  
पिता वरुमल डंगवानी,  
निवासी सूर्या चेम्बर, तीसरी मंजिल,  
व्यापार विहार बिलासपुर,  
तहसील व जिला बिलासपुर छ0ग0.....

आवेदक

बनाम

छ0ग0 शासन .....

अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 26 मई 2019)

1- आवेदक मे0 भाटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा भागीदार दलजीत सिंह भाटिया पिता अमोलक सिंह भाटिया, रमेश कुमार डंगवानी पिता वरुमल निवासी सूर्या चेम्बर, तीसरी मंजिल व्यापार विहार बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर छ0ग0 द्वारा मौजा अमेरी प0ह0नं0 43 रा0नि0मं0 सकरी तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर स्थित भूमि ख0नं0 188/1 रकबा 0.938, ख0नं0 188/2 रकबा 0.121, ख0नं0 188/5 रकबा 0.081, ख0नं0 188/12 रकबा 0.145, ख0नं0 193 रकबा 0.320, ख0नं0 204/1 रकबा 0.372, ख0नं0 204/2 रकबा 0.368, ख0नं0 204/3 रकबा 0.368, ख0नं0 205/1 रकबा 0.372, ख0नं0 205/2 रकबा 0.040, ख0नं0 205/3 रकबा 0.251, ख0नं0 206/2 रकबा 0.625, ख0नं0 214 रकबा 0.405, ख0नं0 261/2 क रकबा 0.268, ख0नं0 261/3 रकबा 0.073, ख0नं0 261/5 रकबा 0.137 हेक्टेयर कुल रकबा 4.884 हेक्टेयर भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 अंतर्गत ब्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है। आवेदित भूमि का नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा, अधिकार अभिलेख, निस्तार पत्रक, सीमांकन प्रतिवेदन, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, कालोनाईजर लाइसेंस, नक्शा, खसरा, बी-1 एवं विक्रय पत्रक की छायाप्रति, शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण तैयार कर प्रकरण को जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोटा को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा) कोटा से जांच प्रतिवेदन सहित प्रकरण प्राप्त।

2- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोटा ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 13-05-2019 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त आवेदित भूमि ख0नं0 188/1 रकबा 0.938, ख0नं0 188/2 रकबा 0.121, ख0नं0 188/5 रकबा 0.081, ख0नं0 188/12 रकबा 0.145, ख0नं0 193 रकबा 0.320, ख0नं0 204/1 रकबा 0.372, ख0नं0 204/2 रकबा 0.368, ख0नं0 204/3 रकबा 0.368, ख0नं0 205/1 रकबा 0.372, ख0नं0 205/2 रकबा 0.040, ख0नं0



M/s. Bhatia Infrastructure



Partner

205/3 रकबा 0.251, ख0नं0 206/2 रकबा 0.625, ख0नं0 214 रकबा 0.405, ख0नं0 261/2 क रकबा 0.268, ख0नं0 261/3 रकबा 0.073, ख0नं0 261/5 रकबा 0.137 हेक्टेयर कुल रकबा 4.884 हेक्टेयर भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन कराने का लेख किया है। आवेदित भूमि आवेदकों के नाम भूमि स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार जांच कर निम्नानुसार बिन्दुवार प्रतिवेदन दिया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। आवेदित भूमि सार्वजनिक प्रायोजन हेतु भू-अर्जन के लिए प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नाधीन भूमि स्थानीय निकाय की सीमा से 02 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। प्रश्नाधीन भूमि प्रचलित सड़क घुर्नु-तिफरा मुख्य मार्ग से लगभग ½ कि०मी० की दूरी पर स्थित है। प्रश्नाधीन भूमि ग्राम की आबादी सीमा से लगा हुआ है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु है, प्रदूषण वाला नहीं है। प्रश्नाधीन भूमि तालाब, नदी, नाला, झील व जल भराव के अन्तर्गत आने वाली भूमि या पगडण्डी या कब्रिस्तान के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्नाधीन भूमि के 10 मीटर त्रिज्या में पाईप लाइन नहीं है। प्रश्नाधीन भूमि के 50 मीटर की त्रिज्या में किसी तेल कम्पनी का भण्डार नहीं है। कार्यालय सहायक यंत्री छ०ग०रा०वि०वि०क०मर्या० बिलासपुर से अभिमत अप्राप्त। अतः उनकी मौन स्वीकृति मान ली गई है। कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के पत्र क्रमांक 4421/प्र० क्र०बी०एल०यू०-1209/न०ग्रा०नि०/2019 दिनांक 01-05-2019 के अनुसार आवासीय विकास अनुज्ञा प्रदान की गयी है। प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन से सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कोई विपरीत प्रभावित नहीं होगी। प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु है। प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की भूमि, वक्फ बोर्ड की संपत्ति एवं अवैध कालोनी का हिस्सा नहीं है। मिसल वर्ष 1928-29 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि आदिवासी की नहीं है। प्रतिवेदित किया गया है।

3- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर छ०ग० के पत्र क्रमांक/4421/प्र.क्र. 1209/न०ग्रा०नि०/2019 बिलासपुर, दिनांक 01-05-2019 द्वारा मौजा अमेरी प०ह०नं० 43 तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर स्थित खसरा नंबर 188/1, 188/2, 188/5, 188/12, 193, 204/1, 204/2, 204/3, 205/1, 205/2, 205/3, 206/2, 214, 261/2 क, 261/3, 261/5 कुल 12.09 एकड़ भूमि है, जो बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में आवासीय उपयोग निर्दिष्ट है पर आवासीय कालोनी विकास को क्रियान्वित करने की अनुज्ञा छ०ग० नगर तथा निवेश अधिनियम 1973 की धारा-30 की उपधारा-3 एवं छ०ग० भूमि विकास नियम 1984 के नियम-27 के तहत शर्त क्रमांक 01 से 31 शर्तों के अधीन आवासीय विकास अनुज्ञा दी गई है।

4- प्रकरण में व्यपवर्तन भू-राजस्व निर्धारण हेतु विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परिवर्तित भूमि शहरी बिलासपुर को भेजा गया। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परिवर्तित शहरी बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक क/वाचक/अ०भू०अ०परि०/रा०/2019 बिलासपुर दिनांक 21-05-2019 द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया है कि आवेदित भूमि ख०नं० 188/1 रकबा 0.938, ख०नं० 188/2 रकबा 0.121, ख०नं० 188/5 रकबा 0.081, ख०नं० 188/12 रकबा 0.145, ख०नं० 193 रकबा 0.320, ख०नं० 204/1 रकबा 0.372, ख०नं० 204/2 रकबा 0.368, ख०नं० 204/3 रकबा 0.368, ख०नं० 205/1 रकबा 0.372, ख०नं० 205/2 रकबा 0.040,

**M/s. Bhalia Infrastructure**

**Partner**

ख0नं0 205/3 रकबा 0.251, ख0नं0 206/2 रकबा 0.625, ख0नं0 214 रकबा 0.405, ख0नं0 261/2 क रकबा 0.268, ख0नं0 261/3 रकबा 0.073, ख0नं0 261/5 रकबा 0.137 हेक्टेयर कुल रकबा 4.884 हेक्टेयर क्षेत्रफल 526640 वर्गफीट भूमि मानकदर प्रति 100 वर्गफुट रूपये 63/- के मान से क्षेत्रफल 526640 वर्गफुट भूमि का वर्ष 2018-19 से पुनः निर्धारण छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1-3) सहपठित धारा 59 (1,2,3 एवं 5) अंतर्गत प्रस्तावित है। वर्ष 2018-19 से वार्षिक पुनः निर्धारण रूपये 331783/- प्रीमियम रूपये 978885/- अधोसंरचना विकास उपकर रूपये 24884/- पर्यावरण उपकर रूपय 24884/- एवं पंचायत उपकर रूपये 165891/- आरोपित किया जाना प्रस्तावित किया है।

5- प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेज का परिशीलन किया गया। उपरोक्त आवेदित भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदकों के नाम पर दर्ज है। आवेदित भूमि पर आवेदकों द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन कराये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि में शुक्रवार 03 मई 2019 को उदघोषणा प्रकाशित कर दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया नियत समय सीमा तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर छ0ग0 के पत्र क्रमांक/4421/प्र.क्र. 1209/न0ग्रा0नि0/2019 बिलासपुर, दिनांक 01-05-2019 द्वारा मौजा अमेरी प0ह0नं0 43 तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर स्थित खसरा नंबर 188/1, 188/2, 188/5, 188/12, 193, 204/1, 204/2, 204/3, 205/1, 205/2, 205/3, 206/2, 214, 261/2 क, 261/3, 261/5 कुल 12.09 एकड़ भूमि है, जो बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में आवासीय उपयोग निर्दिष्ट है पर आवासीय कालोनी विकास को क्रियान्वित करने की अनुज्ञा छ0ग0 नगर तथा निवेश अधिनियम 1973 की धारा-30 की उपधारा-3 एवं छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम-27 के तहत शर्त क्रमांक 01 से 31 शर्तों के अधीन आवासीय विकास अनुज्ञा दी गई है। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परिवर्तित भूमि शहरी बिलासपुर द्वारा व्यपवर्तन हेतु ख0नं0 188/1 रकबा 0.938, ख0नं0 188/2 रकबा 0.121, ख0नं0 188/5 रकबा 0.081, ख0नं0 188/12 रकबा 0.145, ख0नं0 193 रकबा 0.320, ख0नं0 204/1 रकबा 0.372, ख0नं0 204/2 रकबा 0.368, ख0नं0 204/3 रकबा 0.368, ख0नं0 205/1 रकबा 0.372, ख0नं0 205/2 रकबा 0.040, ख0नं0 205/3 रकबा 0.251, ख0नं0 206/2 रकबा 0.625, ख0नं0 214 रकबा 0.405, ख0नं0 261/2 क रकबा 0.268, ख0नं0 261/3 रकबा 0.073, ख0नं0 261/5 रकबा 0.137 हेक्टेयर कुल रकबा 4.884 हेक्टेयर क्षेत्रफल 526640 वर्गफीट भूमि मानकदर प्रति 100 वर्गफुट रूपये 63/- के मान से क्षेत्रफल 526640 वर्गफुट भूमि का वर्ष 2018-19 से पुनः निर्धारण छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1-3) सहपठित धारा 59 (1,2,3 एवं 5) अंतर्गत प्रस्तावित है। वर्ष 2018-19 से वार्षिक पुनः निर्धारण रूपये 331783/- प्रीमियम रूपये 978885/- अधोसंरचना विकास उपकर रूपये 24884/- पर्यावरण उपकर रूपय 24884/- एवं पंचायत उपकर रूपये 165891/- आरोपित किया जाना प्रस्तावित किया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा के जांच प्रतिवेदन, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर के पत्र क्रमांक/4421/प्र.क्र. 1209/न0ग्रा0नि0/2019 बिलासपुर, दिनांक 01-05-2019 के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन मंत्रालय अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-4-99/2012/सात-1/ अटल नगर दिनांक 22 फरवरी 2019 में

M/s. Bhatia Infrastructure

Partner

दिये गये निर्देश अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परिवर्तित भूमि शहरी बिलासपुर से छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अंतर्गत भू-राजस्व दर निर्धारण प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि ग्राम अमेरी प.ह.न. 43 रा0नि0मं0 सकरी तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर छ0ग0 स्थित भूमि ख0नं0 188/1 रकबा 0.938, ख0नं0 188/2 रकबा 0.121, ख0नं0 188/5 रकबा 0.081, ख0नं0 188/12 रकबा 0.145, ख0नं0 193 रकबा 0.320, ख0नं0 204/1 रकबा 0.372, ख0नं0 204/2 रकबा 0.368, ख0नं0 204/3 रकबा 0.368, ख0नं0 205/1 रकबा 0.372, ख0नं0 205/2 रकबा 0.040, ख0नं0 205/3 रकबा 0.251, ख0नं0 206/2 रकबा 0.625, ख0नं0 214 रकबा 0.405, ख0नं0 261/2 क रकबा 0.268, ख0नं0 261/3 रकबा 0.073, ख0नं0 261/5 रकबा 0.137 हेक्टेयर कुल रकबा 4.884 हेक्टेयर क्षेत्रफल 526640 वर्गफीट भूमि मानकदर प्रति 100 वर्गफुट रूपये 63/- के मान से क्षेत्रफल 526640 वर्गफुट भूमि का वर्ष 2018-19 से पुनः निर्धारण छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1-3) सहपठित धारा 59 (1,2,3 एवं 5) अंतर्गत प्रस्तावित है। वर्ष 2018-19 से वार्षिक पुनः निर्धारण रूपये 331783/- प्रीमियम रूपये 978885/- अधोसंरचना विकास उपकर रूपये 24884/- पर्यावरण उपकर रूपय 24884/- एवं पंचायत उपकर रूपये 165891/- आरोपित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर आवेदित भूमि ख0नं0 188/1 रकबा 0.938, ख0नं0 188/2 रकबा 0.121, ख0नं0 188/5 रकबा 0.081, ख0नं0 188/12 रकबा 0.145, ख0नं0 193 रकबा 0.320, ख0नं0 204/1 रकबा 0.372, ख0नं0 204/2 रकबा 0.368, ख0नं0 204/3 रकबा 0.368, ख0नं0 205/1 रकबा 0.372, ख0नं0 205/2 रकबा 0.040, ख0नं0 205/3 रकबा 0.251, ख0नं0 206/2 रकबा 0.625, ख0नं0 214 रकबा 0.405, ख0नं0 261/2 क रकबा 0.268, ख0नं0 261/3 रकबा 0.073, ख0नं0 261/5 रकबा 0.137 हेक्टेयर कुल रकबा 4.884 हेक्टेयर क्षेत्रफल 526640 वर्गफुट आवासीय प्रयोजन के भू-राजस्व के पुनर्निर्धारण को छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (2) के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :-

- 1 आवेदक आवेदित भूमि का विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करेगा।
- 2 रियल स्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी छत्तीसगढ़ (CG-RERA) से पंजीयन कराना आवश्यक होगा। पंजीयन पश्चात ही भू-खण्ड का विक्रय किया जावेगा।
- 3 विकास अनुमति प्राप्त होने के बाद ही भू-खण्ड का विक्रय किया जावेगा साथ ही विक्रय किये गये भू-खण्ड/भवन का भू-राजस्व जमा कराने की जिम्मेदारी कोलोनाईजर की होगी।
- 4 कालोनी में सार्वजनिक सड़क/गार्डन/ई0डब्लू0एस0 के लिए सुरक्षित स्थल चिन्हांकित कर राजस्व अभिलेख के कौफियत कॉलम में दर्ज कराने की जिम्मेदारी आवेदकों की होगी।
- 5 कालोनी में सड़क के दोनों ओर प्रत्येक 25 फीट में फलदार/छायादार वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा। कालोनी विकास में पर्यावरण के साथ छेड़-छाड़ न किया जावें।
- 6 कालोनी से निकलने वाले वेस्ट से किसी आम जनता को कोई तकलीफ न हो इसकी आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।

  
M/s. Bhatia Infrastructure

  
Partner

- 7 आवेदकों द्वारा कालोनी निर्माण में सूखाचार का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।
- 8 शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।
- 9 आवासीय कालोनी निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कराया जाना आवश्यक हो।
- 10 वाद भूमि विवादित होने पर यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 11 उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर यह पुनर्निर्धारण अनुज्ञा स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

अनुज्ञा की भूमि के संबंध में किसी राजस्व न्यायालय या व्यवहार न्यायालय में अन्यत्र कोई प्रकरण विचाराधीन होने पर या आवेदकों द्वारा आवेदित भूमि से संबंधित किसी तथ्य को नहीं बताए जाने पर वाद प्रकट होने पर यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

आवेदकगण आवेदित भूमि का उपरोक्त पुनर्निर्धारित राशि शासकीय खजाने में चालान से पृथक-पृथक संबंधित शीर्ष में जमा कर चालान की प्रतियाँ पेश करें। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोटा एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परिवर्तित भूमि शहरी बिलासपुर राजस्व अभिलेख दुरुस्त कर खसरा/नक्शा/बी-1 की प्रति इस न्यायालय को भेजें।



28/5/19  
(बी0एस0उडके)  
अतिरिक्त कलेक्टर,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
बिलासपुर छ0ग0

पृ. क्रमांक / 270 / वाचक / अति.कले. / 2019  
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 28 मई 2019

- 1 अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोटा को सूचनार्थ। आवेदकों से कालोनी विकास अनुमति शुल्क (आंतरिक एवं बाह्य) ग्राम पंचायत मद में जमा कराकर रसीद की छायाप्रति इस न्यायालय में भिजवना सुनिश्चित करें।
- 2 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परिवर्तित भूमि शहरी बिलासपुर की ओर राजस्व अभिलेख दुरुस्त खसरा/नक्शा/बी-1 की प्रति इस न्यायालय को भेजें।
- 3 संपर्क/सचिव, ग्राम पंचायत अमेरी तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ।
- 4 आवेदक मे0 भाटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा भागीदार दलजीत सिंह भाटिया पिता अमोलक सिंह भाटिया, रमेश कुमार उंगवानी पिता वरुमल निवासी सूर्या चेम्बर, तीसरी मंजिल व्यापार विहार बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। चालान की छायाप्रति विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परिवर्तित भूमि ग्रामीण बिलासपुर के कार्यालय में जमा करें।

28/5/19  
(बी0एस0उडके)  
अतिरिक्त कलेक्टर,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
बिलासपुर छ0ग0

M/s. Bhatia Infrastructure

Partner

29

जिल्द -  
पृष्ठ -

प्रपत्र

राजस्व पुस्तक परिपत्र एक-13

कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में परिवर्तित

अन्तर्गत (समाविष्ट) शहर/ग्राम ..... अमेरी ..... प.ह.नं. 43 .....

मोहल्ला या स्थान का नाम	अधिकार अभिलेख के अनुसार भूमि के मूल धारक का विवरण					कृषि भिन्न आशय के हेतु			
	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल एकड़ों में	धारक का नाम, पिता का नाम निवास स्थान (भूमि स्वामी या सरकारी पट्टेदार)	अधिकार (हक)	लगान	स्तार क्रमांक	भू खण्डक क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गफुट या मीटर में)	वर्तमान धारक का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान (धारक सरकारी पट्टेदार या मौरूषी काश्तकार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	188/1	2.32	मेखरी आठिया इन्फ्रास्ट्रक्चर	भूमि स्वामी	-	18	-	260994	धारक/स्वयं
	188/2	0.30	द्वारा भागीदार					<del>वर्गफीट</del>	186650 गार्ड रोड
	188/5	0.20	दलजीत सिंह						78996 E.W.S
	188/12	0.36	अठिया पिला						कुल रकबा
	193/1	0.79	अठिया रमेश कुमार डंगवानी						526640
	204/1	0.92	पिला वरमल						<del>वर्गफीट</del>
	204/2	0.91	डंगवानी निवासी						
	204/3	0.91	सूर्या चैम्बर						
	205/1	0.92	लीसकी मंजिल						
	205/2	0.10	ब्रह्मदर विहार						
	205/3	0.62	खिलासपुर						
	206/2	1.54							
	214	1.00							
	261/2	0.66							
	261/3	0.18							
	261/5	0.34							



M/s. Blatia Infrastructure

Partner

“अ”

(की कण्डीका 10 देखिये)

की गई भूमि की जांच एवं राजस्व निर्धारण खसरा प्रपत्र

तहसील बिलासपुर जिला बिलासपुर

परिवर्तित भूमि का विवरण

अधिकार जिसमें खरीदा गया	लगान यदि विक्रयकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया हो	कीमत या रकम जो दी गई हो	अधिकार के प्रकार का स्वरूप तथा उद्गम	आशय जिस हेतु उपयोग में लाई गई	परिवर्तन का माह और वर्ष	क्या परिवर्तन हेतु आज्ञा प्राप्त की गई (आज्ञा का विवरण यदि हो)	भू-खण्डक धारक के अन्य अधिकार, भार, सुविधाएं या असुविधाएं यदि हो	संशोधित निर्धारण	आलोचना
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
अ.भू.अ के रा.प्र.क्र. अ.6/ आ. दि. के द्वारा सामां. स्वी.।		1059,58 66,57,56	भूमि स्वामी/ धारक	आवासीय/ व्यवसायिक/ पड़त	1.10.18	न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर कोटा, बिल्हा; पेण्ड्रा, पेण्ड्रा रोड रा.प्र.क्र. 127 / अं.2/ 2018-19 आ.दि. 28-5-2019 प्रीमियम 978885=00	अतिरिक्त कलेक्टर/अ.वि.अ./तह. बिलासपुर पु. नि. 331783=0 पर्या. 24884=00 विकास 24884=00 पंचा. उप. 165891=00 दिनांक 1.10.2019 देय/शेष		



राजस्व निरीक्षक  
परिवर्तित भूमि (शहरी क्षेत्र)  
बिलासपुर (छ.ग.)